



दक्षिण मध्य रेलवे/South Central Railway
प्रबन्धन का कार्यालय/P F A's Office
रेल निलयम/Rail Nilayam, मिकंदराबाद/Secunderabad

कार्यालय आदेश सं./OFFICE ORDER No.043/2021, दि. Dated 04.06.2021
एवजी बंगला चपरामी के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवाएं
निम्नानुसार विनियमित की जा रही हैं-

On completion of 3 years of service as Substitute Bungalow Peon, the services of
the following employees are regularized as given below:

क्र.सं. Sl.No	बंगला चपरामी का नाम (सर्वश्री) Name of the Bungalow Peon (S/Sri)	अधिकारी, जिसे जोड़ा गया है Officer to whom attached	विनियमन की तारीख Date of Regularisation w.e.f
1	मलोथु चंदु Malothu Chandu	श्री एन.श्रीनिवास राजु Sri N Srinivasa Raju, विनयमुनेधि/नि/मिकं./FA&CAO/C/SC	28.02.2020
2	मातंगी प्रशांत Matangi Prasanth	श्री के.किशोर/ श्री. K Kishore, विनयमुनेधि/वि. व व./FA&CAO/F&B	15.06.2020

उप मुकाधि/समन्वय/मुख्यालय के दिनांक 20.05.2021 के पत्र सं. एमनोआर/पी-एचक्यू/ 120
एमीसी/ नियम/डीपी/नियम के अनुसार श्री. मातंगी प्रशांत और श्री. मलोथु चंदु को हैदराबाद मंडल के परिचालन
विभाग में सहायक पॉइंट्समैन ग्रेड वेतन 1800/- (VIIवें केंवेंआ के स्तर -1) में बरीयता प्रदान की गई है

As per Dy.CPO/Co-ord/HQ Lr.No. SCR/P-HQ/120 acc/Lien/BP/Lien dated
20.05.2021, Sri. Matangi Prasanth and Sri. Malothu Chandu are assigned seniority in
Operating Department in HYB Division as Asst. Pointsman with Grade pay Rs.1800/-
(Level-1 of VII CPC).

वे 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि में रहेंगे.

They will be under probation period for a period of 2 years.

वे विन मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित दिनांक 22.12.2003 की राजपत्र
अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईमीसी और पीआर के अंतर्गत अधिसूचित किए अनुसार दि.01.01.2004 से प्रभावी
नई पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली के अधीन शामिल होंगे.

They will be governed by the new restructured defined contribution pension system
effective from 01.01.2004 notified vide Gazette notification No. 5/7/2003- ECB &PR, dated
22.12.2003, published by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

इसे महाम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

This issues with the approval of competent authority.

(जे.वैष्णवी/J VAISHNAVI)

वरि.सविम/मा./ Sr.AFA/G

कृते प्रबि/सिकं./ for PFA/SC

दि./ Date: 04.06.2021

सं./No. एएडीAAD/आरR 95/जिल्दVol.XV

प्रतिलिपि/Copy to: 1) FA&CAO/C/SC, FA&CAO/F&B for information

2) Sr.DPO/HYB for information and necessary action

3) Dy.CPO/Co-ord/HQ for information 4) O.O.File 5) P.File 6) Individual

कृते प्रबि/सिकं./ for PFA/SC